न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 148 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 विसनाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 चेतनराम पुत्र विरधाराम 2 बनाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादी।
2. मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक 04.10.19

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 विराधाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक भूमि मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 621 रकबा 101.15 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता विरधाराम की फौतगी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पिता प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा जन्म से निहित है। वादी को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वकील प्रतिवादी संख्या 02 की और से इकबाली जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित अनुसार उनका भी हिस्सा पृथक कर भूमि का विभाजन किया जाने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी, प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चेतनराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 02 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 621 रकबा 101.15 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 04.10.18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) — अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 विसनाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खारिया तला भाडखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 चेतनराम पुत्र विरधाराम 2 बनाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 148/2019
निर्णय दिनांक :– 04.10.19

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.10.19 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद माफिक राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 02 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 621 रकबा 101.15 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 04.10.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	